कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc–साईटjodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :–जो.वि.प्रा/अ.अ./मुख्यालय/2020–21/ 401 दिनांक : 20/7/2020

ई–निविदा सूचना सं. मुख्यालय 08/2020–21

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में संविदाकर्मियों (45 उच्च कुशल एवं 25 कुशल) की आपूर्ति हेतु उक्त व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों/फर्मों/संवेदकों से जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना में पंजीकृत हो से निर्धारित प्रपत्र में ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलॉड तथा खोली जाएगी। कार्य की धरोहर राशि प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाता द्वारा अनुमानित लागत की 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत निविदादाता द्वारा अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि एवं निर्धारित निविदा शुल्क SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन जमा करनी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 21.07.2020 प्रातः 11.00 बजे से
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 11.08.2020 सायं 6.00 बजे तक
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1	दिनांक 21.07.2020 प्रातः 11.00 बजे से
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	1	दिनांक 11.08.2020 सायं 6.00 बजे तक
5.	ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban service में Payment getway for E-Tendering से निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई–टेन्डररिंग प्रक्रिया शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय	1	दिनांक 11.08.2020 सायं 6.00 बजे तक
6.	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय	1	दिनांक 13.08.2020 सायं 4.00 बजे
7.	वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	1	तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं को e-proc पर सूचित कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयो में)	निविदा शुल्क (रूपयो में)	दर संविदा की कुल अवधि	जोन कार्यालय
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के कार्मिको की संविदा पर आपूर्ति बाबत्।	265.00	530000/-	2000/-	24 माह	अधिशाषी अभियता मुख्यालय

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. संवेदक को विभिन्न प्रलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे तथा निविदा 2 कवर प्रणाली द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निम्न दस्तावेज व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(ए.) कवर अ" तकनीकी बिड (निम्नांकित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किये जाने आवश्यक है।)

(i) निविदा शुल्क व धरोहर राशि, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नामं देय हो तथा प्रोसेसिंग फीस MD RISL Jaipur के नाम देय हो, जो कि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में Payment getway for E-Tendering से जमा की जानी आवश्यक हैं।

(ii) निम्नांकित पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड किये जाने आवश्यक है।

(ए) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970

(बी) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952

(सी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

(डी) वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)

(ई) आयकर (पेन न.)

(एफ) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण

(iii) Annexure A to D मय मोहर हस्ताक्षर कर अपलोड करना आवश्यक है।

(iv) निविदादाता को किसी सरकारी विभाग/ निगम/प्राधिकरण/सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था द्वारा जारी विगत 3 वित्तीय वर्षो (वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20) में से किसी भी 1 वर्ष में रू. 88 लाख का संतोषप्रद कार्य पूर्ण करने का अनुभव प्रमाणपत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो। अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।

(v) निविदादाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो का औसत टर्नओवर रू. 100.00 लाख का होना आवश्यक है। सत्यापन के लिए सी. ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो के अंकेक्षित वार्षिक लेखे अपलोड किये जाना आवश्यक है।

(vi) शर्ते एवं निर्देश (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर के) निविदा के साथ अपलोड करने आवश्यक है।

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (vi) में अंकित दस्तावेज अपलोड नहीं करने की स्थिति में निविदादाता की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।

(बी) कवर बी" वित्तीय बिड

1. वित्तीय बिड पूर्णरूप से भरकर ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक है।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. वित्तीय बिड के प्रारूप में निविदादाता द्वारा कॉलम संख्या 5 व 8 की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

निविदा की अन्य शर्तेः–

ई–टेंडरिग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु प्रयुक्त होगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट, सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करानें से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्क दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- टेण्डर के प्रपत्रो में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन अपलोड करें।

02 निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करवानी होगी।

03 निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदा सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

04 प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य होगी, यदि निविदादाता द्वारा उक्त अवधि में अपनी निविदा/शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

05 संवेदक को भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने पर एवं शाखा प्रभारियों द्वारा उपस्थिति का सत्यापन करने पर किया जायेगा।

06 सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा या उपभाडे पर नहीं देगा अन्यथा नियमानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

07 सफल सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर नियमानुसार राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

08 जेडीए जोधपुर अपनी आवश्यकतानुसार संविदाकर्मी घटानें एवं बढानें के लिये स्वतंत्र होगा।

09 सभी प्रकार के विवाद के लिये न्यायक्षेत्र जोधपुर होगा, किसी भी विवाद की स्थिति मे सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10 श्रम कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित समस्त रिकॉर्ड को सुरक्षित संधारित करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

11 संवेदक द्वारा अवयस्क व्यक्तियों एवं विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्तियों को जोब कार्य पर नहीं लगाया जाएगा ।

12 प्राधिकरण द्वारा एजेन्सी को आवंटित कार्य में से कोई भी कार्य समय पर न करने पर, अन्य व्यक्ति से बाजार से करवा लिया जायेगा तथा कार्य पर हुई वास्तविक राशि संवेदक के भुगतान से काट ली जायेगी।

13 आपूर्ति किये गये सभी कार्मिक निविदा दाता के पे–रोल पर होंगे तथा जिन्हें राज्य सरकार/जोधपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। संवेदक द्वारा इसकी जानकारी निविदादाता को सभी कार्मिकों को देनी होगी।

14 संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान के प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

15 प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी जिसमें धरोहर राशि के रूप में जमा 2 प्रतिशत राशि समायोजित कर ली जायेगी जो अनुबंध के समाप्ति के पश्चात संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण करने पर लौटाई जाएगी, यदि संवेदक द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रतिभूत राशि जब्त कर ली जायेगी।

16 राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा लागू अन्य कोई कर यदि हो तो उसकी कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

17 प्रत्येक माह संवेदक द्वारा कार्मिकों के बैंक खातों में देय पारिश्रमिक राशि जमा करवाकर सूची संलग्न करनी होगी तथा भुगतान का सत्यापन हो सके एवं इसके लिये अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा।

18 सफल निविदादाता को निर्धारित समयावधि में प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्मिक उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे तथा कार्मिक द्वारा निर्देशानुसार कार्य नहीं करने अथवा चालचलन अच्छा नहीं होने पर हटाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

19 आरटीपीपी एक्ट 2012/ नियम 2013 के प्रावधान उक्त निविदा पर लागू होंगे।

20 नेगोशियेसन की आवश्यकता होने पर पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

21 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

22 न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय –समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार की जायेगी।

23 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

24 श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-- समय पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को वढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जाएगा।

25 संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा संवेदक द्वारा अपने आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

26 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जारी किये गये दिशा--निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा, श्रम विधि के अन्तर्गत नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,

दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

27 यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

28 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य मुक्त करने ,नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

29 कार्य निष्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकारी की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ईएसआई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेवारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

30 यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्युनतम मददूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था द्वारा इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदकों को विवर्जित किया जा सकेगा।

31 निर्धारित 8 घंटों से अधिक किये गये कार्य हेतु श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के अलावा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा जिसके लिये अलग से आदेश सक्षम स्तर से जारी किये जायेंगें।

32 किसी भी बिन्दु पर विवाद की दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो संवेदक को मान्य करना होगा।

33 संविदा कर्मियों की दिन प्रतिदिन की उपस्थित संवेदक द्वारा संधारित की जायेगी तथा माह के अन्त में उपस्थिति पत्रों को संबंधित प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाकर मासिक बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

34 **श्रम विभाग की अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर प्रस्तुत करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।**

उपरोक्त शर्तो को मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक पढ लिया गया है एवं उक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत है।

अधिशाषी अभियंता जोन मुख्यालय
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक :-:-जो.वि.प्रा/अ.अ./मुख्यालय/2020-21/ 402-28

दिनांक :- 20/7/2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिंव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/मुख्यालय/आर.ओ.बी/विद्युत/पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिककरण,जोधपुर।
10. कैशियर/नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन http://www.eproc.rajsathan.gov.in,www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेडयुल अपलोड होने के पश्चात टेण्डर आई.डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे।
13. सूचना सहायक सुश्री/श्रीमति तृप्ति सोलंकी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा से सम्बंधित सूचना SSO ID द्वारा पोर्टल पर अपलोड करें।
14. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन/ठेकेदार संघ सिविल जेडीए/पीडब्ल्युडी ठेकेदार संघ/...................... ।

संवेदक के हस्ताक्षर
मय मोहर

अधिशाषी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

तैयार
20/7/20

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc–साईटjodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

सेवाओं के उपापन हेतु निविदा के लिये निविदा में दर प्रस्तुत करने का प्रपत्र

	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (रू.)	सेवा प्रदाता एजेन्सी(संवेदक) द्वारा प्रस्तुत दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (रू.)	ईपीएफ दर प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान)	ईएसआई दर प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान)	सेवा प्रदाता एजेन्सी/संवेदक का सर्विस चार्जेस (प्रतिशत में)	कुल राशि रूपयो में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	संविदाकर्मी कुशल(25)	25	रू. 6474/–		13	3.25		
02	संविदाकर्मी उच्च कुशल (45)	45	रू. 7774/–		13	3.25		
	योग	70						

नोटः– (i) कॉलम संख्या 5 व 8 की पूर्ति निविदादाता द्वारा की जायेगी।

(ii) श्रम विभाग की अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर प्रस्तुत करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

अधिशाषी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिरकण जोधपुर

संवेदक के हस्ताक्षर
मय मोहर